राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि0,
उद्योग–भवन, तिलक–मार्ग, जयपुर–302005

राजस्थान सरकार का उद्यमियों को एमनेस्टी के रूप में बडा तोहफा

राज्य सरकार ने उद्यमियों के लिए अभूतपूर्व एमनेस्टी स्कीम को लागू किया है, जिसके तहत उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की राहत/छूट प्रदान की जा रही है, जो मुख्यतः निम्नानुसार हैं :–

1. बकाया सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराये की राशि एकमुश्त दिनांक 30.09.2022 तक जमा कराने पर देय ब्याज में शत प्रतिशत की छूट।

2. ऐसे आवंटित भूखण्ड जिनको उपयोग में लिया जा चुका है अथवा दिनांक 30.09.2022 तक नियमानुसार उपयोग में ले लिया जावेगा, उनके उपयोग में लिये जाने में हुई देरी के नियमन हेतु देय धारण शुल्क / अतिरिक्त भूमि की कीमत मे 75 प्रतिशत की छूट।

3. भूखण्ड/उप–विभाजित भूखण्ड के बाबत पूर्व में निष्पादित एवं पंजीकृत हो चुके अथवा दिनांक 30.09.2022 तक निष्पादित होकर पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।

4. बकाया जल प्रभार एवं सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त दिनांक 30.09.2022 तक जमा कराने पर पेनल्टी/ब्याज में शत प्रतिशत की छूट।

5. औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षाजल पुनर्भरण संरचना का निर्माण किये जाने हेतु दिनांक 30.09.2022 तक की समयावधि बिना पेनल्टी के बडाई गई है।

6. दिनांक 30 जून, 2022 तक की भूमि की प्रीमियम राशि की बकाया किश्तों को दिनांक 30.09.2022 तक जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट।

7. अवाप्तशुदा भूमि की बढी हुई मुआवजा राशि का भुगतान खातेदारों को किये जाने के कारण भूखण्ड आवंटियों द्वारा देय आनुपातिक विकास शुल्क/प्रीमियम की अतिरिक्त राशि एकमुश्त दिनांक 30.09.2022 तक जमा कराने पर देय ब्याज में शत प्रतिशत की छूट।

सभी उद्यमी इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाकर लाभान्वित हों। जिन उद्यमियों द्वारा रीको नियमों के तहत अपली/कोर्ट केसेज दायर किये हुये है, वह भी अपनी अपीलें/कोर्ट केसेज स्वेच्छा से प्रत्याहरित कर एमनेस्टी योजना का नियमानुसार लाभ उठा सकते है। अधिक जानकारी के हेतु रीको के संबंधित इकाई कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है।

सलाहकार (इन्फ्रा)